लातिविया गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, कला, जनसंचार तथा खेल के क्षेत्रों में वर्ष 2006–08 के लिए सहयोग का कार्यक्रम

लातिविया गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, जिन्हे आगे 'पक्ष' कहा गया है, 1 सितम्बर, 1995 को रिगा में **समझौता ज्ञापन** पर किए गए हस्ताक्षर के अनुरूप दोनों देशों के बीच संस्कृति, कला, जनसंचार और खेल के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006–08 के लिए उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर सहमत हैं।

I. कला और संस्कृति

1. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय और लातिविया का राष्ट्रीय पुस्तकालय संयुक्त–हित के क्षेत्रों में सूचना और अनुभव के आदान–प्रदान तथा उक्त दोनों पुस्तकालयों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

2. दोनों पक्ष, उक्त कार्यक्रम के ढाँचे के भीतर दोनों देशों के संग्रहालयों के बीच सूचना तथा संग्रहालय विशेषज्ञों और सुविज्ञ व्यक्तियों का अधिकतम 7 दिन के लिए आदान–प्रदान करेंगे, जिनकी संख्या परस्पर परामर्श से तय की जाएगी।

3. भारतीय पक्ष, अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए लातिविया के संग्रहालय में आयोजित किए जाने के लिए भारत में ग्राम–दस्तकारों द्वारा तैयार शिल्पों की परम्पराओं पर एक प्रदर्शनी भेजेगा जिसमें संरक्षक और ग्राहक सोसायटियों के बीच अन्तर–संबंध प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रदर्शनी के साथ एक विशेषज्ञ भी भेजा जाएगा जो उक्त विषय पर व्याख्यान देगा।

4. लातिविया पक्ष, अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए भारत में किसी संग्रहालय में आयोजित किए जाने हेतु लातिविया इतिहास संग्रहालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिधान पर एक प्रदर्शनी भेजेगा।

5. दोनों पक्ष, अभिनय, रंगमंच शिल्प तथा निर्माण कार्य में पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 1–2 रंगमंच **शिक्षकों** का आदान–प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

6. दोनों पक्ष, अधिकतम 10 दिन की अवधि के लिए नृत्य, संगीत, रंगमंच, ललित कलाओं, साहित्य तथा दृश्य–श्रव्य कलाओं के क्षेत्र में 1–2 विशेषज्ञों का आदान–प्रदान करेंगे, जो व्याख्यान देंगे और विशेषज्ञ कक्षाएं और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।

7. दोनों पक्ष, एक–दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक समारोहों में 10–12 सदस्यों की पारम्परिक संगीत या नृत्य मण्डिलयों की भागीदारी को प्रोत्साहन देंगे।

8. लातिवियाई पक्ष, वर्ष 2006 में अन्तर्राष्ट्रीय लोकसाहित्य उत्सव ''बाल्टिका'' में भाग लेने के लिए भारतीय पक्ष को आमंत्रित करता है।

9. दोनों पक्ष, एक–दूसरे के देश में वाणिज्यिक आधार पर आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

10. दोनों पक्ष, एक–दूसरे के दूरदर्शन तथा फिल्म महोत्सवों में भाग लेंगे।

11. दोनों पक्ष, इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान सांस्कृतिक आदान–प्रदान के संवर्धन पर विचार–विमर्श करने के उद्देश्य से अपने–अपने देश के संस्कृति मंत्रालय से 5 दिनों के दौरे हेतु 6 से कम व्यक्तियों के प्रतिनिधिमण्डलों का आदान–प्रदान करेंगे।

II. <u>जनसंचार</u>

1. दोनों पक्ष, आवश्यकता पड़ने पर, एक अलग करार करके परस्पर स्वीकार्य उपबंधों पर फिल्मों तथा न्यूज़रीलों का आदान–प्रदान करेंगे।

III. <u>खेल</u>

दोनों पक्ष, खेल के क्षेत्र में अनुभवों का आदान–प्रदान करेंगे और साथ ही विविध शाखाओं में विशेषज्ञों/दलों के आदान–प्रदान की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

दोनों पक्ष, खेल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे और दोनों देशों के खेल प्राधिकारियों के बीच सीधे सम्पर्क स्थापित करेंगे और घनिष्ठ सहयोग करेंगे।

IV. विविध

1. इस कार्यक्रम में उल्लिखित सभी प्रावधानों और कार्यकलापों को प्रत्येक देश के नियमों और विनियमों के अनुरूप तथा दोनों देशों के अपने-अपने वित्तीय साधनों की सीमा के भीतर निष्पादित किया जाएगा।
2. ऐसे अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और उन्हे राजनयिक चैनलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।
3. अनुबंध में उल्लिखित सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।
4. यह कार्यक्रम, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्त होगा और 31 दिसम्बर, 2008 तक वैध रहेगा।

इस कार्यक्रम पर दिनांक 29 मई, 2006 को नई दिल्ली में लातिवियाई, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। तीनो पाठ समानरूप से प्रामाणिक है। तथापि, निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

लातिविया गणराज्य की सरकार की ओर से

नाम : सुश्री हेलेना देमाकोवा
पदनाम : संस्कृति मंत्री

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

नाम : श्रीमती अंबिका सोनी
पदनाम : पर्यटन और संस्कृति मंत्री

अनुबंध

लातिविया गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदानों के कार्यक्रम के तहत् होने वाले आदान–प्रदान को विनियमित करने वाली सामान्य एवं वित्तीय शर्तें।

I. सामान्य प्रावधान

1. व्यक्तियों/प्रदर्शनियों/शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान।

क) प्रत्येक पक्ष, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए **व्यक्ति अथवा शिष्टमंडल** के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व और प्रदर्शनकारी शिष्टमंडलों और प्रदर्शनियों के मामले में कम से कम चार माह पूर्व दूसरे पक्ष को उनके **आत्मवृत्त** (बोली जाने वाली भाषा सहित), **आगमन और प्रस्थान की निर्धारित की गई तिथियाँ** और प्रस्तावित मार्ग–विवरण अग्रिम रूप से भेजेगा।

ख) मेजबान पक्ष, उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर उसकी स्वीकृति की अथवा अन्यथा कोई सूचना देगा।

ग) अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, प्रेषक पक्ष, मेजबान पक्ष को व्यक्ति/व्यक्तियों के आगमन के वास्तविक तरीके और समय के विषय में कम से कम तीन सप्ताह पहले सूचित करेगा।

घ) आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

II. वित्तीय प्रावधान

1. तीन माह तक की **अवधि के लिए** व्यक्तियों और शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान।

   दोनों पक्ष निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दौरों हेतु व्यक्तियों और शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करेंगे।

(क) प्रेषक पक्ष, गन्तव्य स्थान तक जाने और वहाँ से लौटने के अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय का खर्च वहन करेगा। गन्तव्य स्थान वह स्थान होगा, जहाँ से दौरे का कार्यक्रम आरंभ होता है।

(ख) मेजबान पक्ष निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :

i. निःशुल्क आवास;
ii. निःशुल्क भोजन;
iii. इंटरप्रिटेशन सेवाएँ
iv. मेजबान संगठन द्वारा अनुमोदित ठहरने के कार्यक्रम **के साथ संबद्ध** आंतरिक यात्रा और स्थानीय परिवहन की लागत।
v. प्रदर्शनकारी समूहों **के मामले में**, प्रचार पर होने वाले व्यय सहित प्रदर्शन को आयोजित करने की लागत।

2. फिल्मों का आदान–प्रदान

क) प्रेषक **पक्ष** निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :

i. फिल्म को लाने और ले जाने का व्यय।

ख) मेजबान **पक्ष** निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :

i. फिल्म दिखाने का व्यय

पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान–प्रदान

इस कार्यक्रम में यथा परिकल्पित प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों के आदान–प्रदान पर लगने वाली पूरी लागत का वहन प्रेषक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

3. प्रदर्शनियों का आदान–प्रदान

क) प्रेषक पक्ष निम्नलिखित का वहन करेगा :

i) प्रदर्शनी के प्रथम स्थान तक जाने और प्रदर्शनी के अंतिम स्थान से लौटने के परिवहन की लागत।

ii) जब प्रदर्शनी उसके राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र से बाहर हो, तो उसके बीमे पर होने वाला व्यय।

4. (ख) मेजबान पक्ष निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :

i) प्रदर्शनी के आयोजन, प्रचार, कैटेलॉग और पोस्टर प्रकाशित करने की लागत,

ii) **यदि** प्रदर्शनी एक से अधिक स्थान पर आयोजित की जाती है तो अपने राज्य–क्षेत्र में आंतरिक आवागमन।

iii) प्रदर्शनी का आवश्यक संरक्षण और सुरक्षा।

ग) प्रदर्शनी के साथ प्रेषक पक्ष की ओर से एक विशेषज्ञ जाएगा। इस विशेषज्ञ पर होने वाला व्यय इस कार्यक्रम के वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठहरने की अवधि परस्पर करार से निर्धारित की जाएगी।

घ) प्रदर्शों के क्षतिग्रस्त होने के मामले में, मेजबान पक्ष, संगत बीमा एजेंसी के साथ होने वाली क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्षति संबंधी सभी दस्तावेज प्रेषक पक्ष को भेजेगा।

ङ) प्रेषक पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना क्षतिग्रस्त प्रदर्शों की मरम्मत नहीं की जा सकती है।

च) जहाँ कहीं आवश्यक हो, प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए प्रत्येक पक्ष के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करने के लिए, दोनों पक्षों के बीच एक पृथक करार किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने की तारीख को वैध हैं। दोनों पक्ष, यदि आवश्यक हो तो परस्पर परामर्श से इन धनराशियों में फेरबदल कर सकते हैं।